
The Rajghat Samadhi Act, 1951

(Act No. 41 of 1951)

राजघाट समाधि अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 41)

राजधान समाधि अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 41)

[29 जून, 1951]

दिल्ली में राजधान समाधि के प्रबन्ध और नियंत्रण
का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजधान समाधि अधिनियम, 1951 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. परिचायाएँ—इस अधिनियम में—

(क) "समिति" से इस अधिनियम के अधीन गठित राजधान समाधि समिति अभिप्रेत है;

(ख) "समाधि" से दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर राजधान में महात्मा गांधी के ग्रादास्वरूप बनाई गई संरचना अभिप्रेत है और अनुसूची में वर्णित परिसर तथा उस परिसर में बने भवन, उन परिवर्तनों या परिवर्तनों सहित, जो उनमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किए जाएं, इसके अन्तर्गत हैं।

3. राजधान समाधि समिति—(1) समाधि का प्रबन्ध और नियंत्रण, इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से गठित समिति में निहित होगा।

(2) उक्त समिति "राजधान समाधि समिति" के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक नियमित निकाय होगी और अपने अध्यक्ष के माध्यम से उक्त नाम से वह बाद लाएगी और उस पर बाद लाया जा सकेगा।

4. समिति का गठन—(1) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) दिल्ली नगर नियम का महापौर, पवेन;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन शासकीय व्यक्तित;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित चार अशासकीय व्यक्तित;

(घ) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से नियाचित किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से नियाचित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी और यदि इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वह उपधारा (1) के अर्थ में समिति का सदस्य समझा जाएगा।

(3) समिति के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सब व्यक्तित केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियाचित सदस्य की पवावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जब वह उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिससे कि वह नियाचित किया गया था।

1|(5) यह घोषित किया जाता है कि समिति के सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने के लिए, या होने के लिए, निर्वाचित नहीं होगा। | ।

5. समिति की शक्तियां और उसके कर्तव्य—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, समिति की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :—

(क) समाधि के कामकाज का प्रबन्ध करना और समाधि को अच्छी हालत में रखना और उसकी

1. 1988 के विधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (18-5-1988 से) लंबःस्थापित।

(अनुसूची ।)

- (ब) समाधि पर नियतकालिक समारोहों का आयोजन और विनियमन करना;
- (ग) ऐसी अन्य बातें करना जो समाधि के कामकाज के दक्षतापूर्ण प्रबन्ध की आनुषंगिक या सहायक हों।

6. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वयित करने के लिए और समाधि या उसके किसी भाग तक पहुंच विनियमित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती।

7. समिति की उप-विधियां बनाने की शक्ति—(1) समिति¹ [राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] निम्नलिखित सभ प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए ऐसी उप-विधियां बना सकती जो इस अधिनियम से और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, अर्थात् :—

- (क) वह रीति जिसमें समिति की बैठकें बुलाई जाएंगी, उनमें किसी कार्य के संचालन के लिए गणपूर्ति तथा ऐसी बैठकों में प्रक्रिया;
- (ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति जो समिति के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें;
- (ग) समिति के कर्मचारियों के कर्तव्य और शक्तियां;
- (घ) समिति के किसी भी कर्मचारी द्वारा समिति को लेखा, विवरणियां और रिपोर्ट पेश करना।

(2) इस घारा के अधीन बनाई गई सब उपविधियां पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगी और तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता।

²[7क. नियमों और उप-विधियों का संसद के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक उपविधि, बताए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अवधि दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित हृषि में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम या उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किंतु नियम या उपविधि के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतीकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]।

8. रिक्ति आदि के कारण समिति के कार्यों की विधिमान्यता का प्रश्न न किया जाना—समिति का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

अनुसूची

[घारा 2(छ) देखिए]

समाधि के परिसर का क्षेत्रफल 44.35 एकड़ है और जो निम्न प्रकार परिवर्णित है—

उत्तर में दिल्ली हम्पुवर्मेट दस्ट का एक छाली भू-खण्ड;
दक्षिण में पावर हाउस रोड;
पूर्व में पावर हाउस; और
पश्चिम में बेला रोड।

1. 1988 के अधिनियम सं० 30 की घारा 3 घारा अंतःस्थापित।
2. 1988 के अधिनियम सं० 30 की घारा 4 घारा अंतःस्थापित।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपिता की सृति में बनाए गए पवित्र स्थल, राजघाट समाधि का उचित अनुरक्षण, परिरक्षण और प्रशासन सुनिश्चित करना है।

इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक में प्रस्तावित साधन हैं—कठिपय शक्तियों वाली एक समिति की स्थापना जिसमें सात सदस्य होंगे जिनमें से चार गैर-सरकारी होंगे। समिति के अध्यक्ष का नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

यह समिति वह सभी युक्तियुक्त और आवश्यक बातें करेगी जो राजघाट समाधि के उचित अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन को सुनिश्चित करे। यह समाधि के पहरे और निरामी कार्य के लिए उचित प्रबंध करेगी; यह समाधि पर सर्वोदय दिवस, शुक्रवार की प्रार्थना, गांधी जयंती आदि सावधिक समारोहों को संगठित और विनियमित करेगी तथा यह समाधि तक पहुंच का नियंत्रण करेगी।

यह महसूस किया गया है कि विधायी अधिनियमिति के बिना इस पवित्र स्थल के अनुरक्षण और विनियमन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त प्राधिकार को प्रवृत्त करना संभव नहीं होगा। तदर्थ समितियां वैयक्तिक कारकों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और संकट की स्थिति में उत्तरदायित्व बंडनायक गण। और पुलिस पर न्यागत हो जाता है। अतः एक कानूनी समिति बनाई जा रही है।

नई दिल्ली;
26 मार्च, 1951

एन० श्री० गाडगिल